



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2015/फाल्गुन 26, 1936

No. 147]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2015 /PHALGUNA 26, 1936

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 मार्च, 2015

सा.का.नि.195(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यह जतन बनाते हुए कि लोक हित में यह आवश्यक है, भारत के नागरिकों को 01 जून, 2015 से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1812 दिनांक 25 सितंबर, 1968 द्वारा नौकायन जहाजों के चालक दल और सहयोगी (tindals) को सदस्य के रूप में प्रदत्त छूट एतद्वारा वापस लेती है और इसके बाद उपर्युक्त तारीख से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 3 उन पर लागू होगी।

[फा. सं. VI/401/1/15/2014]

मुक्तेश कु. परदेशी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2015

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby withdraws the exemption granted to the citizens of India as members of the crew and tindals of sailing vessels vide notification No. G.S.R. 1812 dated the 25th September, 1968, with effect from 01st June, 2015 and thereof Section 3 of the Passports Act, 1967 shall apply to them from the aforesaid date.

[F.No. VI/401/1/15/2014]

MUKTESH K. PARDESHI, Jr. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

1247 07/2015